बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 416372 पटना, दिनांक 12/03/19

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के वास स्थल विहीन परिवारों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाभुकों को वास भूमि क्रय करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक- 406013 दिनांक- 11.01.2019 द्वारा दिया गया है ।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 758 दिनांक- 28.02.2019 एवं अधिसूचना संख्या- 759 दिनांक- 28.02.2019 द्वारा योजनान्तर्गत लाभुकों को 60,000/- रूपये तक की वास भूमि क्रय करने हेतु 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी एवं 50 रूपये निबंधन शुल्क निर्धारित किया गया है । एतद् संबंधी अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

जिलों से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के कोटिवार वास भूमि विहीन लाभुकों की प्राप्त संख्या के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जिलावार निर्धारित लक्ष्य संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभुकों के लिए वास भूमि क्रय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 416372 पटना, दिनांक 12/03/19

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल		
वास स्थल विहीन परिवारों को मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत वासस्थल भूमि क्रय हेतु लक्ष्य		
क्र0 सं0	जिला का नाम	वासस्थल भूमि क्रय हेतु लक्ष्य
1	2	3
1	ARARIA	627
2	ARWAL	9
3	AURANAGABAD	342
4	BANKA	403
5	BEGUSARAI	1815
6	KAIMUR	155
7	BHAGALPUR	678
8	BHOJPUR	177
9	BUXAR	165
10	DARBHANGA	126
11	PURBI CHAMPARAN	190
12	PASHCHIM CHAMPARAN	2366
13	GAYA	493
14	GOPALGANJ	233
15	JAMUI	49
16	JEHANABAD	24
17	KATIHAR	1039
18	KHAGARIA	670
19	KISHANGANJ	24
20	LAKHISARAI	112
21	MADHEPURA	227
22	MADHUBANI	728
23	MUNGER	176
24	MUZAFFARPUR	985
25	NALANDA	98
26	NAWADA	153
27	PATNA	954
28	PURNIA	1506
29	ROHTAS	250
30	SAHARSA	50
31	SAMASTIPUR	940
32	SARAN	256
33	Sheikhpura	22
34	SHEOHAR	103
35	SITAMARHI	2509
36	SIWAN	59
37	SUPAUL	970
38	VAISHALI	317
कुल :-		20000

(१९)

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 335) पटना, बुधवार, 6 मार्च 2019

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
28 फरवरी 2019

सं0 IV/एम[1]–1–22/2018–759—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के अधीन न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) के अनुसार, रू. 60,000/– (साठ हजार रुपये) तक का आवासीय भू–खंड क्रय से संबंधी दस्तावेज पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में रू. 50/– (पचास रूपए) मात्र अवधारित करते हैं।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग में से जिन सदस्यों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जानी है, उन्हें दस्तावेजों के निबंधन में छूट प्रदान करने संबंधी प्राधिकार–पत्र समाहर्त्ता या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से संबंधित निबंधन पदाधिकारी को निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त योजना के अंतर्गत लाभुकों से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके द्वारा "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना"का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है।

4. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

28 फरवरी 2019

सं० IV/एम1–1–22/2018–**759**—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 28th February 2019

No.- IV/M1-1-22/2018-**759**— In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar is pleased to determine Rs. 50/- (Rupees fifty) only as the registration fee payable on the document related to purchase of residential plot of land amount upto Rs. 60,000 (Rupees Sixty thousands) according to MVR under the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHYATA YOJNA".

2. People of SC, ST & EBC community mentioned in the waiting list of "PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA-GRAMIN", who will get help under the said scheme shall be issued an authority letter for exemption in the registration of the document by the Collector or Officer authorized by the Collector to the related registrar.

3. Before issuing authority letter to the beneficial under the said scheme, an affidavit shall be obtained that they have not obtained benefit, earlier, of the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHYATA YOJNA".

4. It will come into force from the date of issuance of the notification.

By the Order of the Governor of Bihar,
Amir Subhani,
Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 335-571+500 डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 334) पटना, बुधवार, 6 मार्च 2019

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

अधिसूचना

28 फरवरी 2019

सं0 IV/एम[1]–1–22/2018–758—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9 की उप–धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के अधीन न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) के अनुसार, रू. 60,000/– (साठ हजार रूपये) तक का आवासीय भू–खंड क्रय से संबंधी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी के रूप में रू. 50/– (पचास रूपए) मात्र अवधारित करते हैं।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग में से जिन सदस्यों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जानी है, उन्हें दस्तावेजों के निबंधन में छूट प्रदान करने संबंधी प्राधिकार–पत्र समाहर्त्ता या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से संबंधित निबंधन पदाधिकारी को निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त योजना के अंतर्गत लाभुकों से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके द्वारा "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना"का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है।

4. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

28 फरवरी 2019

सं० IV/एम1–1–22/2018–**758**—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 28th February 2019

No.- IV/M1-1-22/2018-**758**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act 1899 the Governor of Bihar is pleased to determine Rs. 50/- (Rupees fifty) only as the stamp duty payable on the document related to purchase of residential plot of land of amount upto Rs. 60,000 (Rupees Sixty thousands) according to MVR under the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHAYATA YOJNA".

2. People of SC, ST & EBC community mentioned in the waiting list of "PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA-GRAMIN", who will get help under the said scheme shall be issued an authority letter for exemption in the registration of the document by the Collector or Officer authorized by the Collector to the related registrar.

3. Before issuing authority letter to the beneficial under the said scheme, an affidavit shall be obtained that they have not obtained benefit, earlier, of the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHAYATA YOJNA".

4. It will come into force from the date of issuance of the notification.

By the Order of the Governor of Bihar,
Amir Subhani,
Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 334-571+500 डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in